6

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०–2/एल–199/2025– / स्वा०, पटना, दिनांक / / 2026

डा० सारा सुल्ताना, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोकुलपुरमठ, हरनौत, नालन्दा के द्वारा दिनांक–29.02.2024 से 31.03.2025 तक कुल–397 (तीन सौ संतानवे) दिन उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–444(25), दिनांक–18.03.2026 से प्राप्त अवकाश आदेयता एवं वित्त विभागीय पत्रांक–9889, दिनांक–01.12.2015 के आलोक में शिशु देखभाल अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है। उपभोगित अवकाश को घटाने के पश्चात डा० सारा सुल्तान को 333 (तीन सौ तैतीस) दिन शिशु देखभाल अवकाश आदेय रह जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(राजीव रंजन)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–2/एल–199/2025– 1735(2) पटना, दिनांक 24/2/26 2026

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नालन्दा/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरनौत, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः कोषागार पदाधिकारी, नालन्दा/डा० सारा सुल्ताना, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोकुलपुरमठ, हरनौत, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

22/2/26
सरकार के अवर सचिव

D>Sec-2>2026>adesh 2026